G.N. 0530

(51)

न्यायालय परगनाधिकारी,झांसी

वाद संख्या 34/11-12 धारा 143 ज0उ0एक्ट
मौजा अम्बावाय तह0 व जिला झांसी
संत माँ कर्मा मानव सम्बंर्धन बनाम राज्य सरकार आदि

आदेश दि0 25/07/12

प्रस्तुत वाद धारा 143 ज0उ0एक्ट के अन्तर्गत संत माँ कर्मा मानव सम्बर्धन समिति व्दारा प्रबन्धक श्री संतोषकुमार साहू पुत्र हरगोविन्द साहू निवासी मयूर बिहार कालोनी मेडीकल कालेज के सामने झांसी व्दारा राज्य सरकार उ0प्र0 जरिये कलैक्टर,झांसी एवं गांवसभा अम्बावाय तह0 व जिला झांसी को प्रतिवादी पक्षकार बनाते हुए इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी खतौनी वर्ष 1417 लगायत 1422 फ0 के खाता संख्या 690 की आराजी संख्या 1769रकवा 1.377 व आराजी संख्या 1790रकवा 1.022हे0 कुल 2 कितारकवा 2.399हे0 लगान 17.15 रूपया का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है तथा मौके पर काबिज दखील है । उक्त भूमि नम्बरो में कृषि कार्य से सम्बन्धित वागवानी ,पशुपालन, कुकुट पालनआदि कार्य विगम कई वर्षो से प्रयोग में नही लिया जा रहा है । बल्कि उक्त भूमि नवीन परती के रूप में दर्ज कागजात है । मौके पर संत माँ कर्मा मानव सम्बंर्धन एवं गाँधी डिग्री कालेज के लिये भूमि खाली पडी हुई है मकान व भवन आदि बना हुआ है । अन्त में प्रार्थना की है कि वादी अपनी उक्त आराजी संख्या 1769रकवा 1.377हे0 आराजी संख्या 1790रकवा 1.022हे0 कुल 2 किता रकवा 2.399हे0 का कृषि उपयोग के स्थान पर गैर कृषि योग्य /आवासीय/औधोगिक घोषित किये जाने के आदेश पारित किये जाने की याचना की है ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार झांसी से जांच करायी गयी । लेखपाल ने अपनी जांच आख्या दिनांक 27-4-12 में अंकित किया हे कि मौजा अम्बावाय की आराजी संख्या 1769 रकवा 1.377हे0 व आराजी संख्या 1790 रकवा 1.022हे0 मौके पर बंजर है और आशिक भाग पर भवन निर्माण है । धारा 143 ज0उ0एक्ट के अन्तर्गत आवादी घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत है । नायव तहसीलदार एवं तहसीलदार झांसी ने लेखपाल की आख्या को अग्रसारित कियागया है साथ ही नियम 135 के अन्तर्गत निर्धारित प्रारूप पर भी आख्या प्रस्तुत की गई है ।

संन्त माँ कर्मा मानव सम्बर्धन समिति व्दारा प्रबन्धक संतोष कुमार साहू पुत्र हरगोविन्द साहू निवासी मयूर बिहार कालोनी मेडीकल कालेज के सामने झांसी ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि मै शपथकर्ता व्दारा खाता संख्या690 की आराजी संख्या 1769 व 1790 को गैर कृषि योग्य /आबादी में दर्ज कराने के वावत वाद दायर किया गया जिसमें आराजी संख्या 1769 को गाँधी डिग्री कालेज मौजा अम्बावाय के नाम से हस्तानरित किया है लेकिन उक्त दोनो समिति एवं डिग्री कालेज का प्रबन्धक शपथकर्ता ही है और दोनो आराजीयात को गैर कृषि योग्य घोषित किये जाने के लिये वाद दायर किया दोनो आराजीयात को आबादी दर्ज करने में शपथकर्ता को कोई आपत्ति नही है । प्रश्नगत भूमि पूर्व में लक्ष्मीनारायण पुत्र जुगराज के नाम थी । श्री लक्ष्मीनारायन से दोनो नम्बर का सम्पूर्ण रकवा वादी ने कय कर लिया है और मौके पर काबिज दखील है इसी आशय का एक शपथत्र भी प्रस्तुत किया गया है । आराजी संख्या 1769 में गाँधी डिकी कालेज व आराजी संख्या 1790 में सन्त माँ कर्ता मानव सम्बर्धन समिति एवं डिग्री कालेज का भवन निर्मित है जो सही है ।

पत्रावली पर वादी एवं पैनल लायर अधिवक्ता को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

वादी के विद्वान अधिवक्ता व्दारा तर्क दिया गया है कि विवादित आराजी में कोई कृषि कार्य नही हो रहा है जैसा कि लेखपाल ,ने अपनी आख्या में स्पष्ट अंकित किया है कि मौके पर भूमि बंजर है और भवन का निर्माण है । नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार व्दारा लेखपाल की आख्या को अग्रसारित किया गया है जिसे आबादी घोषित किये जाने हेतु आख्या संस्तुति सहित प्रेषित की है । तहसील आख्या नियम 135 के निर्धारित प्रारूप पर दी है अन्त में उक्त भूमि को व्यवसायिक/ आवासीय घोषित किये जाने की याचना की है ।

इसके विपरीत पैनल लायर अधिवक्ता व्दारा तर्क दिया गया है कि तहसील आख्या स्पष्ट नही है और नियम 135 पर आख्या नही है इसलिये वादी का वाद खारिज होने योगय है ।

S206
17

Chairman
Sant Maa Karma ... Sambardhan Trust

(2)

(52)

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहरीर आख्या में अंकित किया गया है कि प्रश्नगत आराजी में मौके पर बंजर है और उसमें स्कूल के भवनों का निर्माण हेतु सामान रखा जा रहा है और उक्त भूमि आवासीय उपयोग में लायी जा रही है । उसमें कोई कृषि कार्य नही हो रहा है । प्रश्नगत आराजी को आवासीय /औद्योगिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रस्तुत की है पत्रावली में संलग्न खसरे में कोई फसल अंकित नही है । मौजा अम्बावाय की खतौनी वर्ष 1411417 लगायत 1422 फ0 के खाता संख्या 690 की आराजी संख्या 1769रकवा 1.377है0 व आराजीसंख्या 1790 रकवा 1.022है0 कुल 2 किता रकवा 2.399है0 को कृषि कार्य प्रयोजन से इतर प्रयोजन यानि व्यवसायिक आवासीय घोषित किये जाने योग्य है ,को श्रेणी –1 क संक्रमणीय भूमिधर से संत मॉ कर्मा मानव सम्वर्धन समिति व्दारा प्रबन्धक श्री संतोषकुमार साहू पुत्र हरगोविन्द साहू निवासी मयूर बिहार कालोनी मेडीकल कालेज के सामने झांसी के नाम से आवासीय/ औद्योगिक प्रख्यापित किया जाता है। खतौनी के अन्तिम कालम मे यह भी अंकित किया जाये कि प्रश्नगत भूमि यदि किसी सरकारी योजना के अन्तर्गत अधिग्रहीत की जाती है तो वादी को इसका मुआवजा कृषि दर से देय होगा ,तथा भूराजस्व से मुक्त किया जाता है । तदानुसार परवाना अमलदरामद जारी किया जाये आदेश की अभिप्रमाणित प्रति सम्बन्धित उप निबंधक झांसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये । वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जाये।

दिनांक जुलाई 25 12

(पी0के0श्रीवास्तव)
परगनाधिकारी,झांसी।

आज यह आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित ,दिनांकित एवं न्यायालय की मुद्रा सहित उद्घोषित किया गया ।
दिनांक जुलाई 25 12

(पी0के0श्रीवास्तव)
परगनाधिकारी,झांसी ।

Sant Maa Karma Manav Sambardhan Trust
JHANSI (U.P.)